संख्या-242 जेएल/22-3-2025-ई-1837759

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
रामपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24.05.2025

विषय- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जसबीर सिंह पुत्र स्व0 अजायब सिंह, निवासी-ग्राम गोधी, थाना-खजुरिया, जनपद-रामपुर को पत्नी के उपचार हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-321-22/जि0प्रो0अधि0/पैरोल/2025-26, दिनांक 22-05-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा केन्द्रीय कारागार, बरेली के सिद्धदोष बंदी जसबीर सिंह पुत्र स्व0 अजायब सिंह, निवासी-ग्राम गोधी, थाना-खजुरिया, जनपद-रामपुर को शासनादेश संख्या-139/22-3-2025-ई-1837759, दिनांक 24-03-2025 द्वारा पत्नी के उपचार हेतु स्वीकृत एक माह के पैरोल की अवधि में उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2007 के नियम-3(2) में निहित प्रावधानानुसार सम्यक विचारोपरान्त एक माह की वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, रामपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।